

उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – नयन गौतम, आई.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 133/2025

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह जरिये मुखत्यारे खास परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ बड़ा, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0) वादीगण

ब न अ म

हरदीप सिंह पुत्र श्री सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ छोटी, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अभयजीत सिंह पुत्र श्री हरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राजस्थान)

उपस्थित-अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी

वादीगण

अधिवक्ता श्री विजय कुमार भाटी

प्रतिवादी 1 व 2

पैरोकार राज

प्रति.-3

—:: निर्णय ::—

दिनांक 28.10.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी 1 व 2 एक ही परिवार के हैं तथा सम्पूर्ण सिंह के वंशज हैं। चक 3 एफ छोटी पटवार का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 72-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 58/40 के मुरब्बा 37 के किला नम्बर 11/2 (0.126 है.), 12 से 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.668 है. ब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 5/1(0.202 है.), 5/2(0.051 है.खाला), 6/1(0.228 है.) (2(0.025 है.), 15/1(0.127 है.), 15/2(0.026 है. खाला), 16/1(0.228 है.), 16/2(0.025 है. लाला), 25/1(0.227 है.), 25/2(0.026 है.) = 1.265 है.(1.112 है. नहरी + 0.153 है. खाला) पूर्ण खाता की कुल 4.933 है. [4.780 है. नहरी + 0.153 है. खाला] कृषि भूमि वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 3 एफ छोटी के खाता संख्या 58/40 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 5/86 के मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22, 35 की कुल 6.324 है. [6.247 है. नहरी +0.077 है. लाला] कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम 1/2 हिस्सा 164 है. कृषि भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 1/2

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

हिस्सा यानि 3.164 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है। नहरी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 4022/12081 हिस्सा 4.022 है, वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम 2011/12081 हिस्सा यानि 2.011 है, प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 2011/12081 हिस्सा यानि 2.011 है, प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 530/4027 हिस्सा यानि 1.590 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 2 जी छोटी प्रथम के खाता संख्या 64/15 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.858 है। नहरी कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 801/2572 हिस्सा यानि 1.2015 है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 801/2572 हिस्सा यानि 1.2015 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 2 जी छोटी प्रथम के खाता संख्या 25/20 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 2 जी छोटी प्रथम के खाता संख्या 25/20 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 63/14 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 है। नहरी /बारानी मय खाला कृषि भूमि में से वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम 506/1581 हिस्सा यानि 1.012 है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 506/1581 हिस्सा यानि 1.012 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 2 जी छोटी प्रथम के खाता संख्या 63/14 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने काश्त की सहूलियत एवं सिंचाई पानी की सुविधा को मध्य नजर रखते हुए पारस्परिक सहमति से निम्न प्रकार एक दुसरे के नाम दर्ज कृषि भूमि की निम्न प्रकार आपसी समझौताअनुसार काश्त की हुई है :-

(A)- वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम दर्ज चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 58/40 के मुरब्बा नम्बर 37 व 38 की कुल कुल 4.933 है। [4.780 है। नहरी + 0.153 है। खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.602 है। कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह को दी हुई है एवं 1.446 है। कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह को दी हुई है ।

(B)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है। नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 530/4027 हिस्सा यानि 1.590 है। कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह को दी हुई है ।

(C)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है। नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 2011/12081

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

हिस्सा यानि 2.011 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह को दी हुई है।

(D)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 63/14 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 है. नहरी / बायानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से प्रतिवादी संख्या 2 अमयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 506/1581 हिस्सा यानि 1.012 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह को दी हुई है।

(E)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.858 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 801/2572 हिस्सा यानि 1.2015 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह को दी हुई है।

(F)- चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 5/86 के मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22, 35 की कुल 6.324 है. [6.247 है. नहरी +0.077 है. खाला] कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा 3.164 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.767 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह को दी हुई है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पारस्परिक सहमति से किए तबादला अनुसार उक्त मुद संख्या 4 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि के काबिज काशत है परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में उक्त कब्जा काशत अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण पक्षकारान को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीगण उक्त कृषि भूमि का भली प्रकार उपभोग नहीं कर सकते हैं, तथा कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा, डिग्गी, कैटल शैड आदि की सुविधाओं से एवं उक्त कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाने से भी वंचित हो रहे हैं ऐसी सूरत में वादीगण उक्त कृषि भूमि घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने पारस्परिक सहमति से हुए मौखिक विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से सम्पर्क किया तो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उक्त रकबा एक दुसरे के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 3 ने श्रीमान जी न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी गई जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आजकल आजकल कर समय व्यतीत कर टाल मटोल करता रहे अन्ततः दिनांक 24/06/2025 को कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया, बस यही बिनाय मुखास्मत है। चूंकि वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील श्रीगंगानगर में स्थित है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व 2 रु. के न्याय शुल्क पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

(A)- वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम दर्ज चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 58/40 के मुरब्बा नम्बर 37 व 38 की कुल कुल 4.933 है. [4.780 है. नहरी + 0.153 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.602 है. कृषि भूमि अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह की एवं 1.446 है. कृषि भूमि हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासीयान चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

1)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है. नहरी मय जिला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 530/4027 हिस्सा यानि 1.590 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण ह जाति जटसिख निवासी 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

2)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है. नहरी मय जिला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 2011/12081 हिस्सा यानि 2.011 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत ह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

3)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 63/14 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 है. नहरी /बारानी मय जिला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह नाम 506/1581 हिस्सा यानि 1.012 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

4)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.858 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 801/2572 हिस्सा यानि 1.2015 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक को वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

5)- चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 5/86 के मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22, 35 की कुल 6.324 है. [6.247 है. नहरी 0.077 है. खाला] कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम चक 1/2 हिस्सा 3.164 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.767 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की घोषित की जावे।

6) उक्त घोषणा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

7) वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

8) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवायाजावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन लब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा में अंकित तथ्यानुसार उपरोक्त अनवानी राजस्व वाद पत्र में पक्षकारान का पंचायत वा तबिरान लोगो ने आपस में राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोके अदालत की प्रवना से प्रेरित होकर स्वेच्छा एवं बिना किसी जबर दवाब के राजीनामा स्वीकार कर लिया है पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। पक्षकारान ने वाद पत्र में वर्णित चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/40, 5/86 चक 2

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज)

जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/15, 25/20, 63/14 की कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का पारस्परिक सहमति से किए गए विभाजन अनुसार निम्न प्रकार घोषित करवाने में सहमत है :-

(A)- चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 58/40 के मुरब्बा नम्बर 37 व 38 की कुल 4.933 है. [4.780 है. नहरी + 0.153 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.602 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह एवं 1.446 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जावे।

(B)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 530/4027 हिस्सा यानि 1.590 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जावे।

(C)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 2011/12081 हिस्सा यानि 2.011 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह की घोषित की जावे।

(D)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 63/14 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 506/1581 हिस्सा यानि 1.012 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जावे।

(E)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.858 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 801/2572 हिस्सा यानि 1.2015 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह की घोषित की जावे।

(F)- चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 5/86 के मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22, 35 की कुल 6.324 है. [6.247 है. नहरी +0.077 है. खाला] कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा 3.164 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.767 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जावे। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर वाद पत्र में वर्णित चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 58/40, 5/86, चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 64/15, 25/20, 63/14 की कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य उक्त अनुसार घोषित कर डिक्री जारी की जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजनामा होने एवं किसी प्रकार का कोई गिवाद नहीं होने के कारण विवाद्यक कायम नहीं किये गये।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

साक्ष्य वादी में परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति जट सिख निवासी चक 3 एफ छोटी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य वादी में जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 3 एफ छोटी, पटवार हल्का साहूवाला, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 58/40 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 3 एफ छोटी, पटवार हल्का साहूवाला, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 5/86 प्रदर्श-2, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 चक 2 जी छोटी प्रथम, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 64/15 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 चक 2 जी छोटी प्रथम, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 25/20 प्रदर्श-4, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 चक 2 जी छोटी प्रथम, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 63/14 प्रदर्श-5 प्रदर्शित करवायी गयी। वादी द्वारा दस्तावेज मुख्तयारनामा आम की प्रति प्रदर्श-6ए प्रदर्श करवाये गये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 3 एफ छोटी, पटवार हल्का साहूवाला, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 58/40 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 चक 3 एफ छोटी, पटवार हल्का साहूवाला, भू.अ.नि. बुर्जवाली खाता संख्या 5/86 प्रदर्श-2, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 चक 2 जी छोटी प्रथम, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 64/15 प्रदर्श-3, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 चक 2 जी छोटी प्रथम, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 25/20 प्रदर्श-4, जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 चक 2 जी छोटी प्रथम, पटवार हल्का 18 जी जी, भू.अ.नि. गोविन्दपुरा खाता संख्या 63/14 प्रदर्श-5, दस्तावेज मुख्तयारनामा आम की प्रति प्रदर्श-6ए का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि के समेकन हेतु आपसी विनिमय की सहमति हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवम् जमाबन्दी साक्ष्य के अवलोकन से न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत विनिमय हेतु वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के खातेदार अभिधारी अपनी जोत को समेकित करने हेतु अन्य खातेदार अभिधारी के साथ विनिमय कर सकता है। बशर्त विनिमय में भूमि समान मूल्य व गुणवत्ता की हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्युद्ध अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में उक्त विवेचन अक्षरतः चरपा होता है।

—:: आदेश ::—

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :-

(A)- चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 58/40 के मुर्ब्बा नम्बर 37 व 38 की कुल 4.933 है. [4.780 है. नहरी + 0.153 है. खाला] कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 2.602 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह एवं 1.446 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जाती है।

(B)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से



उपखण्डाधिकारी (राजस्थान)
श्री गंगानगर (राज)

स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 530/4027 हिस्सा यानि 1.590 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जाती है।

(C)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जीजी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 64/15 के मुरब्बा नम्बर 26, 33 की कुल 12.081 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 2011/12081 हिस्सा यानि 2.011 है. कृषि भूमि वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह की घोषित की जाती है।

(D)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 63/14 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 3.162 है. नहरी/बारानी मय खाला कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से प्रतिवादी संख्या 2 अभयजीत सिंह पुत्र हरदीप सिंह के नाम 506/1581 हिस्सा यानि 1.012 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 1 परमजीत सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जाती है।

(E)- चक 2 जी छोटी प्रथम पटवार हल्का 18 जी जी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2071-2074 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 25/20 के मुरब्बा नम्बर 25 की कुल 3.858 है. नहरी कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह के नाम 801/2572 हिस्सा यानि 1.2015 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक वादी संख्या 2 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह की घोषित की जाती है।

(F)- चक 3 एफ छोटी पटवार हल्का साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार सम्वत् 2072-2075 जमाबन्दी सम्वत् 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के संयुक्त खाता संख्या 5/86 के मुरब्बा नम्बर 8, 19, 22, 35 की कुल 6.324 है. [6.247 है. नहरी +0.077 है. खाला] कृषि भूमि में से वादी संख्या 1 हरलाज सिंह पुत्र परमजीत सिंह के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा 3.164 है. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से 1.767 है. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हरदीप सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह की घोषित की जाती है। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के बैंक रहन मुक्त होने की दशा में नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28.10.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(नयन गौतम) आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर